भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. **2964**

दिनांक 10 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारत- संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापार समझौते का प्रभाव

2964. श्री बैन्नी बेहनन:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच प्रस्तावित भारत संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापार समझौते का भारतीय कृषि और किसानों की आय पर संभावित प्रभाव का कोई व्यापक आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या समझौते में डेयरी उत्पादों, दालें, तिलहन, कपास, मक्का और अन्य कृषि उत्पादों जैसी कृषि वस्तुओं पर आयात में कमी या बाजार पहुंच के विस्तार का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आयात में वृद्धि और मूल्य अस्थिरता से उत्पन्न होने वाले संभावित प्रतिकूल प्रभावों से छोटे और सीमांत किसानों की रक्षा के लिए प्रस्तावित सुरक्षा उपायों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने एमएसपी, सार्वजनिक खरीद और खाद्य सुरक्षा तंत्र पर समझौते के संभावित प्रभाव का अनुमान लगाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) पर, विशेषकर कृषि क्षेत्र के योगदान पर, समझौते के संभावित प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार ने किसान संगठनों, राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ साझा किए गए ब्यौरे को सार्वजनिक किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (च) भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने दिनांक 2 फरवरी 2026 को एक व्यापार समझौते की घोषणा की। इसके लिए एक संयुक्त वक्तव्य दिनांक 7 फरवरी 2026 को जारी किया गया।

- यह समझौता भारतीय किसानों और मछुआरों को समुद्री उत्पाद, बासमती चावल, मसाले, चाय और कॉफी, तिलहन और कुछ फलों जैसे अपने मजबूत क्षेत्रों में निर्यात बढ़ाने के अवसर प्रदान करेगा। साथ ही, यह कृषि वानिकी से जुड़े उत्पादों जैसे वनस्पति रस, मोम, मेवे, रोपण सामग्री, नारियल, खसखस, सब्जियां और कुछ जड़ वाली सब्जियों, और प्रसंस्कृत फल उत्पादों जैसे जूस, पल्प और जैम के लिए एक बड़े बाजार में अधिमान्य टैरिफ पहुंच प्रदान करेगा। टैरिफ में दी गई रियायतों से भारतीय किसानों को 14 लाख करोड़ रुपये से अधिक के विशाल अमेरिकी वार्षिक आयात बाजार में अपने उत्पाद बेचने के लिए अनुकूल वातावरण मिलेगा।

- भारत ने सावधानीपूर्वक तैयार की गई अपवर्जन श्रेणी के माध्यम से अपने संवेदनशील कृषि क्षेत्रों को पूरी तरह से संरक्षित किया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि चावल, गेहूं, मुर्गी, डेयरी, सोयामील, मक्का, बाजरा, मूंगफली, शहद, तंबाकू आदि जैसे प्रमुख उत्पादों पर समझौते में कोई टैरिफ रियायत प्रदान नहीं की गई है।

- भारत ने चुनिंदा कृषि उत्पादों पर सीमित और सावधानीपूर्वक निर्धारित टैरिफ रियायतों का प्रस्ताव किया है, साथ ही कोटा, चरणबद्ध रियायत और आंशिक शुल्क कटौती के माध्यम से घरेलू हितों का भी ध्यान रखा है। सेब, अखरोट और सोयाबीन तेल जैसे उत्पादों पर, जिनका भारत में घरेलू मांग उत्पादन से अधिक होने के कारण काफी मात्रा में आयात होता है, रियायत सीमित और कोटा आधारित है ताकि आयात से स्रोतों में विविधता लाने में मदद मिल सके। यह कोटा वर्तमान वैश्विक आयात के अनुरूप है, जिससे भारतीय किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना आपूर्ति की कमी पूरी हो जाती है। इसी प्रकार, बढ़ती मांग को देखते हुए, पशु आहार संबंधी उत्पादों जैसे डीडीजीएस और गैर-जीएम लाल ज्वार पर सीमित मात्रा में और आंशिक टैरिफ रियायतें दी गई हैं ताकि घरेलू चारा फसलों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इसी तरह, कपास पर भी गुणवत्ता संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कपास और कपास उत्पादों का आयात और निर्यात दोनों के भारत के मौजूदा व्यापार पैटर्न को ध्यान में रखते हुए निर्धारित कोटा आधारित रियायत दी गई है।

- समग्र रूप से, समझौते में दी गई रियायतों की शर्तों से भारतीय किसानों को लाभ होने और निर्यात के नए अवसर खुलने की उम्मीद है।

*****